IJAER/November-December 2018/Volume-7/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

मानवाधिकार संरक्षण कानून एवं जनजातीय महिलाएं
(दक्षिण राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

सोहनलाल वड़किया
(व्याख्याता हिन्दी साहित्य)
श्री योगेश्वर स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, आमलीपाड़ा, सज्जनगढ़

मानव इतिहास के सम्पूर्ण काल में सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकार और सिद्धान्त लागू रहे है जिनका न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता था। इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की आवाज बुलंद हुई। प्रत्येक मनुष्य को इन अधिकारों के उपयोग और संरक्षण का अधिकार है। भारत में कानूनी तौर पर स्त्री–पुरूषों को समानाधिकार प्राप्त हैं देश के विकास में मजबूत ओर प्रभावी शक्ति बनाने के लिए महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न करना जरूरी है। महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें विकास के बारे में जाग्रत करना होगा। जनजातीय महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए उन्हें शिक्षित और जागरूक करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह जिस समाज और समुदाय में जन्म लेती है, उस समाज और समुदाय की उसके बारे में धारणा स्वस्थ वातावरण पर आधारित होनी चाहिए।

भारतीय समाज की जटिल और कठोर जाति व्यवस्था में फंसी नारियों की तुलना में जनजातीय समुदायों की महिलाओं का दर्जा व रूतबा कहीं अधिक सम्मानजनक और सशक्त है परन्तु जनजातीय महिलाओं का दर्जा अपने समुदायों के पुरूषों से कम नहीं है। शहरी समाज के सम्पर्क के कारण सामाजिक समानता में हाल में कमी हुई है। जो जनजातियां शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण और आधुनिक रहन–सहन तथा हिन्दुत्व की सामाजिक कुप्रथाओं से प्रभावित होती जा रही है, उनमें महिलाओं की प्रतिष्ठा और सामाजिक सत्ता कम होती जा रही है।

जनजातीय समुदायों में सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ–साथ वे परिवार को चलाने में भी

भरपूर योगदान करती है। अन्य महिलाओं की तरह वे खाना पकाने, सफाई चौका आदि सामान्य घरेलू काम संभालने के साथ–साथ पानी भरने, मवेशी पालने, ईंधन तथा वन उत्पाद एकत्र करने का जिम्मा भी उठाती है। कृषि कार्य में बुवाई और कटाई का काम महिलाएं ही संभालती है। मुख्यधारा से कटे रहने के कारण जनजातीय समुदाय में शिक्षा प्रचार का काम काफी देर से शुरू हो पाया है। महिला साक्षरतादर न्यूनतम है।

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लिया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है। आन्ध्रप्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित किए जा चुके है। जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है।

प्रमुख मानव अधिकार अधिनियम – वर्तमान में महिलाएं कर्मक्षेत्र में आगे आई है। वे विभिन्न सेवाओं मे कदम रखने लगी है। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध कारित उपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्थाएं की गई है। धारा 354 में स्त्री लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण, धारा 376 में बलातसंग, धारा 498–क में निर्दयतापूर्ण व्यवहार तथा धारा 509 व 410 में स्त्री का अपमान करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। सती निवारण अधिनियम 1957 में सती प्रथा के निवारण हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 स्त्रियों को सम्पति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्रों तथा रात्रि में कार्य निषेध करते है। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 12वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क (ड.) के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया है और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकार किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षार्थ सजग एवं सतत प्रयासरत है।

बीसवीं सदी को नारी जागृति का काल कहा जा सकता है। 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार के प्रणेताओं–संत मावजी महाराज, गोविन्दगिरी, संत सुरमालदास आदि के प्रयासों से क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में जनजागृति का संचार हुआ तथा देश में समाज सुधारकों के प्रयासों से स्त्री समाज में जागृति आई। हर क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए। फलतः स्त्रियों ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संतोषजनक उन्नति की। बाल विवाह और दहेज गैर कानूनी घोषित किये गये। विधवा–विवाह को कानूनी अनुमति मिली। सन् 1955 के हिन्दू विवाह कानून द्वारा बहुविवाह गैर कानूनी घोषित हुआ एवं स्त्री–पुरूष दोनों को तलाक देने की अनुमति मिली। हिन्दू–उत्तराधिकार कानून द्वारा 'स्त्रीधन' पर स्त्री को अधिकार मिला। 1961 ई. में दहेज–निवारण कानून बना। 1986 में उसी में संशोधन करके दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन कानूनों से सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुए।

बीसवीं शताब्दी में नारी सशक्तीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये। महिलाएं इससे लाभान्वित भी हुई है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की। तथापि आज भी बहुत अधिक संख्या में महिलाएं गरीब है, अनपढ़ है। उन्हें न तो अपने अधिकारों का ज्ञान है और न ही उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का। दरअसल, सशक्तीकरण की आवश्यक शर्ते है – शिक्षा और आर्थिक आत्म निर्भरता, लेकिन समाज की रूढ़िवादिता उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज जनजातीय

महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें से एक बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना और समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां होना है।

सामाजिक, सांस्कृतिक जनजागरण के क्षेत्र में मावजी महाराज, गोविन्दगिरी एवं सुरमालदास के प्रेरणादायी कार्यो ने जनजातीय महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न रहने का संदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। पिछले कुछ दशकों में गैर जनजातीय समुदायों के बढ़ते प्रभाव के कारण आए कुछ परिवर्तनों के बावजूद जनजातीय महिलाएं अपने समुदाय के आर्थिक जीवन में विशेषकर भूमिका निभा रही है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ–साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती है।

सीमित कृषि योग्य भूमि, असमय और अपर्याप्त वर्षा, सिंचाई के साधनों की कमी, उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक खादों तथा बिजली का समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, परिवार में आर्थिक तंगी, बैकों से ऋण मिलने की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया, गैर सरकारी ऋणदायी संस्थाओं की ऊँची ब्याज दरें एवं बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी आदि महिलाओं के आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली गंभीर समस्याएं है। इनके अतिरिक्त पुरूषों की तुलना में महिलाएं उत्पादन कार्यो में लगे रहने के कारण खेती के लिए पर्याप्त समय का अभाव, शिक्षा की कमी के कारण तकनीकी ज्ञान समझने में दिक्कत और आवास प्रबन्धन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष–

जनजातीय महिलाएं निरक्षर है वे मानवाधिकार संरक्षण कानूनों का लाभ नहीं उठा पा रही है क्योंकि शिक्षा के अभाव में जनजातीय महिलाएं अपने विकास एवं संरक्षण सम्बन्धी कानूनों के बारे में नहीं जानती है। सन् 1947 से आज दिनांक 20.09.2016 तक सरकार एव स्वयं सेवी संस्थाओं ने इनके विकास के नाम पर करोड़ों, अरबों रूपये खर्च किये है। लेकिन आज स्थिति वैसी ही है। सूचना तकनीकी माध्यम व समाचार पत्र इनकी वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाये है।

जनजातीयों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अनेकों संवैधानिक कानून बनाये गये है। फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों है। जबकि दक्षिण राजस्थान में अधिकांश जनजातीय लोग निवास करते है।

सूचना तकनीकी माध्यम इनके शोषणों का उल्लेख नहीं करते है। मानवाधिकार संरक्षण कानूनो के उपयोग के प्रति जनजातीय महिलाएं उदासीन है। जनजातीय समाज के जादू टोना एवं अंधविश्वास बहुत ही प्रचलित है। जनजातीय महिलाओं को डायन बताकर उसके साथ मारपीट करना आम बात है। समाज में जनजागृति लाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि जब तक जनजातीय लोग शिक्षित नहीं होगे तब तक अंधविश्वास, जादू–टोना कायम रहेगा और जनजातीय महिलाऐं अत्याचारों से प्रताड़ित होती रहेगी।

मानवाधिकारों के प्रति जनजातीय समाज में जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीडन, अत्याचार लोगों के अधिकारों का हनन आदि सामान्य रूप से प्रचलित है। अनुसूचित जनजातीय महिलाओं पर पिछडेपन की भी मार पड़ती है और औरत होने की भी। सारा दिन अकुशल, मेहनती काम के बाद और कम मजदूरी के बाद घर लौटी औरत को अपने पति की मारपीट भी सहनी पड़ती है। कभी ऊँची जात वालों के सामुहिक क्रोध का शिकार भी महिला को होना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण या सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित महिलाओं की त्रासदी भी पुरूष की अपेक्षा कई गुना अधिक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. मौर्य शैलेन्द्र (2011) '' महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
2. मौर्य, शेलेन्द्र (2007) '' राजस्थान में महिला विकास प्रारंभ से आज तक'' राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर
3. गोयल, प्रिति प्रभा (2007) '' भारतीय नारी विकास की ओर'' राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर
4. चन्देल, धर्मवीर (2011) '' मानवाधिकार नेहरू और अम्बेडकर'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
5. श्री वास्तव, सुधारानी (2003) '' भारत में मानवाधिकार की अवधारणा'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
6. सुदर्शन, शैण्डे हरिदास रामजी (2008) '' महिला अधिकार और शिक्षा'' ग्रन्थ विलास, जयपुर
7. वर्मा, सवलिया बिहारी/गुप्ता, संजीव (2005)''महिला जागृति और सशक्तीकरण'' आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर

8. शैलेन्द्र मौर्य (2012) '' भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर

9. बोहरा, आशारानी (1983) ''भारतीय नारी दशा और दिशा'' नेशनल पब्लिशिंग, नई दिल्ली

10. भट्ट, नीरजा (2007) '' 18वीं व 19वीं शताब्दी में राजस्थान का भील समाज'' हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर

11. भाणावत, महेन्द्र (1993) ''उदयपुर के आदिवासी'' भारतीय लोक कला मण्डल उदयपुर

12. दोषी, शम्भुलाल एवं व्यास, नरेन्द्र एन (1992) ''राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ'' प्रथम संस्करण हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर

13. जैन, संतोष कुमारी (1981) ''आदिवासी भील–मीणा'' साधना बुक्स–6 सिवाड एरिया अजमेर रोड, जयपुर

14. कपूर, सुभाषिनी (1990) '' राजस्थान के भील और लोक संस्कृति'' सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली

15. मीणा, जगदीश चन्द्र (2003) '' भील जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन'' (1885–1947 ई.) हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर (राज.)